रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– के पी सिटी– 67/2021–23

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.dhr.gov.in लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गजट पढ़ने हेतु log in करें www.behm.org.in

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

नोट–इस अंक में 1 पेज स्पेशल पेजेस के नाम से अलग से है। सम्पादक

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही, कानपुर–208014
सम्पर्क सूत्र :– 9450153215, 9415074806, 9415486103

वर्ष – 44 • अंक – 12 • कानपुर 16 से 30 जून 2022 • प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी • वार्षिक मूल्य ₹ 100

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 की पहल पर केन्द्रीय इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति विकास एवं अनुसंधान परिषद का गठन

सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अधीन पंजीकृत यू0पी0 डेवलपमेन्ट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन,उ0प्र0 द्वारा निगमित बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 की स्थापना 24 अप्रैल 1975 को हुई थी जिसके द्वारा देश के विभिन्न प्रान्तों में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के शिक्षा एवं परीक्षा केन्द्रों को स्थापित किया गया था जैसे जैसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जड़ें राज्यों में मज़बूत होती गयीं वैसे वैसे बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने उन राज्यों की इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्थाओं एवं परीक्षा केन्द्रों को उन राज्यों को सौंप दिया, बोर्ड का ध्येय सदैव से संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप चिकित्सा एवं शिक्षा को राज्य का विषय मानते हुए अपना नामकरण भी इसी के अनुरूप किया था।

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 द्वारा विभिन्न अवधियों के पाठ्यक्रम संचालित किये गये तथा समय–समय पर आवश्यकतानुसार इनमें संशोधन भी किया गया, चाहे पाठ्यक्रमों के उच्चीकरण का मामला हो या फिर अवधि का, बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 ने सदैव इसको प्राथमिकता दी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के अन्दोलन नें जब जोर पकड़ा तथा शासन द्वारा मान्यता हेतु जांच समिति व विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया तो बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 ने इस पर अपनी गहरी नज़र रखी तथा केन्द्र सरकार द्वारा गठित जांच समिति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी, सरकार द्वारा गठित जांच समिति द्वारा जारी दिनांक 19–11–1993 की रिपोर्ट ने देश में नई स्थिति उत्पन्न की, जिस पर केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद ने भी अपनी कार्यसमिति में चर्चा कर सरकार को अपना मत प्रस्तुत किया, इस रिपोर्ट के आने के पश्चात एक बार फिर इलेक्ट्रो होम्योपैथी में नई स्थिति उत्पन्न हो गयी, जिसका परिणाम यह हुआ कि 1996 में दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका योजित की गयी जिसके माध्यम से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को बन्द कराने का प्रयास किया गया किन्तु माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली ने इसे राष्ट्रीय समस्या मानते हुए केन्द्र एवं राज्य सरकारों को इसके नियमन हेतु निर्देश जारी किये साथ ही माननीय न्यायालय ने सभी सम्बन्धित एवं अन्य संस्थाओं को डिग्री न जारी करने के निर्देश भी दिये, यह पहला अवसर था कि जब किसी न्यायालय ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी सहित समस्त गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति को डिग्री न जारी करने के आदेश दिये।

सरकार ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के इस आदेश दिनांक 18 नवम्बर 1998 का अनुपालन करते हुए 25 नवम्बर, 2003 को एक आदेश जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी सहित सभी गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों की शिक्षा एंव चिकित्सा हेतु स्पष्ट दिशा निर्देश है, केन्द्र सरकार द्वारा जारी यह आदेश अति स्पष्ट है इसमें न तो शिक्षा देने से रोका गया है और न ही चिकित्सा करने से, सरकार के इस आदेश में स्पष्ट भावना है कि सरकारी मान्यता होने तक इसके अनुसार सभी गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति अपना कार्य करें।

केन्द्र सरकार के इस आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में समय समय पर शीर्ष संस्थाओं द्वारा विनियम बनाकर कार्य किया जाता रहा है किन्तु उनमे कोई एकरूपता नहीं पायी जा रही थी, अभी चिन्तान चल ही रहा था कि भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग ने 21 जून, 2011 को एक आदेश जारी कर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया (EHMAI) को इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शिक्षा, चिकित्सा एवं अनुसंधान हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर प्रदान किया इस आदेश के अनुसार इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया ने स्वतन्त्र नियामक निकाय के रूप में कार्य करना आरम्भ कर दिया जिसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथिक शीर्ष संस्थाओं,शिक्षण संस्थाओं, तथा औषधि निर्माताओं के अनुमोदन की प्रक्रिया हेतु दिशा निर्देश जारी किये, कुछ एक सस्थाओं को अनुमोदन पत्र भी जारी किये गये, समय सीमा में निर्धारित मापदण्ड पूर्ण होने के कारण उन्हें प्रत्याहारित कर लिया गया, अगले स्तर की कार्यवाही अभी हो रही ही थी कि 28 फरवरी, 2017 को भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा एक अन्तर विभागीय समिति का गठन कर इलेक्ट्रो होम्योपैथी सहित अन्य गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों की मान्यता के लिए मैकेनिज़्म पर कार्य आरम्भ किया गया जिसमें अभी भी कार्य जारी है, अन्तर विभागीय समिति ने अपनी अनेक बैठकों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिए आवश्यक एवं वांछनीय मापदण्ड पूर्ण करने के लिए दावेदारों को निर्देश भी दिये जिसके लिए उन्हें समय भी दिया गया जिसकी पूर्णतः अभी तक शेष है।

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग की कार्यवाही का बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 द्वारा गहनता से अध्ययन एवं परिशीलन किया गया और यह विचार किया गया कि अन्तर विभागीय समिति द्वारा वांछित की पूर्ति के लिए कार्य करने का यह उपयुक्त समय है बोर्ड ने इस हेतु इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति विकास एंव अनुसंधान संस्थान के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी तथा यह पहल की कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति विकास एंव अनुसंधान संस्थान केन्द्रीय इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति विकास एवं अनुसंधान परिषद का गठन अविलम्ब कर भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की मान्यता हेतु गठित अन्तर विभागीय समिति द्वारा वांछित की पूर्ति पर शीघ्रता शीघ्र कार्य आरम्भ कर दिया जाये ताकि अन्तर विभागीय समिति द्वारा वांछित की पूर्ति सुगमता से पूर्ण की जा सके, बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 ने संस्थान से यह भी अपेक्षा की है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्थाओं के नियमन हेतु एक स्वायत्त परिषद का गठन भी करे जो माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा रिट याचिका संख्या 4015/96 में दिनांक 18 नवम्बर, 1998 को दिये गये निर्देशों के अनुसार मेडिकल काउन्सिल एक्ट की धारा 17, 18, 19 एवं 19 ए के अनुरूप रेगुलेशन तैयार कर जारी करे तथा भारत सरकार के आदेश दिनांक 25 नवम्बर, 2003 के अनुरूप इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्थाओं को कार्य करने हेतु प्रेरित करे।

शेष पेज 2 पर

सत्य कभी पराजित नहीं होता! धैर्य रखें

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 08 जून, 2022 के सम्बंध में आज कल सोशल मीडिया में एक ही हेडिंग का ज़ोरदार तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, प्रचार करना एक अच्छी बात है प्रचार होना भी चाहिये प्रचार यदि नहीं होगा तो प्रसार कैसे होगा, देखा जाये तो प्रचार व प्रसार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों का सम्बंध एक दूसरे से मज़बूत होना चाहिये यदि प्रचार का एक कोना अधूरा रह गया तो यह मानिये कि प्रसार में बहुत बडी रुकावट आ सकती है, यदि प्रचार भ्रामक हो और आप उसपर पूर्ण विश्वास कर रहे हों तो यह मानकर चलें कि आप एक परिपक्व व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आते हैं, बचपन में हम सभी ने यह कहावत अपने बुज़ुर्गों से ज़रुर सुनी होगी कि कौआ कान ले गया और हम अपने कान को ज़रुर टटोलकर देखते थे कि क्या वास्तव में कौआ कान ले गया! अफवाहों का कोई समय निर्धारित नहीं होता है और न ही इसके लिये कोई मुहूर्त देखा जाता है, शरारती तत्वों को जब मनोरंजन करना होता है तो एक न एक शगूफ़ा अपने पिटारे से निकाल कर सोशल मीडिया में उड़ा देते हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि लोग बाग जो आज कल बड़े जोरों से प्रचार में लगे हैं कि 30 जून, 2022 के बाद सबकुछ समाप्त हो जायेगा, तो हम आपको बताते चलें कि अफ़वहों में कोई दम–खम नहीं है, कुछ वर्षों पहले सम्भवतः आपको याद होगा कि सम्पूर्ण भारत में एक अफवाह फैली थी कि स्काईलैब पृथ्वी पर गिर रही है और सबकुछ तबाह बरबाद हो जायेगा, क्या भारत बरबाद हुआ, क्या आप या आपके परिवार को कोई ठेस पहुंची, नहीं ना, क्योंकि इस समाचार में भ्रम तो था ही साथ में असत्य भी था यह मात्र लोगों को भयभीत करने का एक षडयंत्र था बात यहीं नहीं समाप्त होती है अभी ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं लोग–बाग ने सोशल मीडिया के माध्यम ही नहीं अपितु भारत के अनेक समाचार पत्रों में भी वर्ष 2004 में एक भ्रामक समाचार प्रकाशित कर अपनी टी0आर0पी0 बढ़ाने के लिये यह प्रथम पृष्ठों की मुख्य हेडिंग बना डाली थी कि **इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर गिरी गाज – मान्यता समाप्त** ज़रा विचार करें जब यह समाचार छपा था तो उस समय यानी वर्ष 2004 में क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी को सरकारी मान्यता थी जो **इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता समाप्त** हो गयी, वह जो कुछ भी छपा था या छापा गया था यह मात्र एक कोरी सोची समझी साजिश थी और कुछ नहीं, तनिक विचार करें इस समाचार से समाचार पत्रों को अवश्य लाभ हुआ एक तो उनकी टी0आर0पी0 बढ़ी ही, दूसरी ओर उनका सर्कुलेशन भी बढ़ा, सर्कुलेशन बढ़ा तो आय भी बढ़ी, यह सब कुछ विशेष तत्वों द्वारा आपको मात्र भ्रमित करने के लिये किया गया था, आप ज़रा विचार करें कि क्या समाचार पत्रों में छपने मात्र से इलेक्ट्रो होम्योपैथी समाप्त हो गयी!

अब आइये चलते हैं आज के मुख्य भ्रामक प्रचार प्रसार की ओर कि 30 जून, 2022 के बाद सब कुछ समाप्त हो जायेगा तो हम आपको बताते चले कि यह भी एक कोरी अफ़वाह मात्र है इलेक्ट्रो होम्योपैथी कल भी जिन्दा थी आज भी जिन्दा है और भविष्य में भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी जिन्दा रहेगी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी कोई बच्चों का खिलौना नहीं जो टूट जायेगा इलेक्ट्रो होम्योपैथी वास्तव में एक चिकित्सा पद्धति है जिसे विकसित और स्थापित होना ही है, आपको यह भी अवगत कराना आवश्यक है कि ....

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान पटल द्वारा जारी 25 नवम्बर, 2003 का आदेश जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी सहित सभी गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों का भविष्य निर्धारित करता है इसी आदेश में स्पष्ट तौर पर राज्य सरकारों को निर्देश दिये गये हैं कि उनके राज्य में संचालित संस्थाओं द्वारा जिन चिकित्सा पद्धतियों को चिकित्सा पद्धति की मान्यता नहीं दी गयी है उनमें डिग्री एवं डिपलोमा जारी न करने दिया जाये तथा मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के अतिरिक्त किसी को भी Dr. शब्द का प्रयोग करने से रोका जाये।

सरकार के इस आदेश से यह स्पष्ट संदेश मिलता है कि देश के अनेक राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की संस्थायें संचालित हैं तथा उनमें छात्र अध्ययन तो करते ही हैं अपितु उनको बाकायदा प्रमाण–पत्र भी दिये जाते हैं जिनके आधार पर वे नियमानुसार प्रैक्टिस भी करते हैं, ऐसी संस्थाये विधि सम्मत की श्रेणी में आती हैं।

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट याचिका संख्या – 4015/96 दिनांक 18 नवम्बर, 1998 को जारी आदेश में निर्देश दिया है कि कोई भी संस्था डिग्री नहीं जारी करेगी, इस निर्देश में स्पष्ट होता है कि संस्थायें अपना कार्य पूर्ण–रुपेण करेंगी तथा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक अपने नाम से पूर्व EH Dr. तथा नाम के पश्चात अपनी अर्हता स्पष्ट रुप से अंकित करेंगे।

सत्यमेव जयते

विकास एवं अनुसंधान परिषद का गठन

केन्द्रीय इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति विकास एवं अनुसंधान परिषद की शासी समिति (Governing Body)

अध्यक्ष चेयरमैन EHMAI (पदेन)	उपाध्यक्ष विकास कार्यकारी EHSDRI (पदेन)	उपाध्यक्ष अनुसंधान कार्यकारी EHSDRI (पदेन)
वित्तीय सलाहकार वित्त नियन्त्रक BEHMUP (पदेन)	सदस्य चिकित्सा/आयुष अनुसंधान क्षेत्र से (पदेन)	निदेशक इन्सटीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी, कानपुर (पदेन)
5 विशेषज्ञ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक (नामित)	1 विशेषज्ञ आधुनिक चिकित्सा (नामित)	1 विशेषज्ञ फार्मोकोलाजी (नामित)
1 विशेषज्ञ वनस्पति शास्त्र (नामित)	1 विशेषज्ञ रसायन शास्त्र (नामित)	सदस्य सचिव रजिस्ट्रार BEHMUP

No. U 11018/06/2021-HR(ASM)/ 8116107
Government of India
Ministry of Health and Family Welfare
(Department of Health Research)
*****

IRCS Building, 2nd Floor,
1, Red Cross Road, New Delhi-110001
Dated, the 8th June, 2022

To

Dr. Kuldip Tiwari,
Joint Proposallist Electrohomeopathy Committee,
E-10/476, 33 Futa Road,
Nehru Vihar, Delhi-110094.

Subject: Regarding Part-2 Proposal of recognition of Electrohomeopathy.

Sir,

Please refer to your letter No.100/JPEHC/MAY/2022, dated 24/05/2022, on the above subject, wherein you have requested for time till 27/06/2022 for submission of compiled data on the subject.

2. You are hereby permitted to submit the compiled data/information/document, relating to *your* proposal for recognition of Electrohomoeopathy, till June 30, 2022. It may be ensured that that the combined material contains what IDC had asked for during the last meeting, held on 11.01.2021.

3. **'22' 'hard copies'** of the combined material may be submitted in a presentable format, and in a properly bound form, along with corresponding 'soft copy', preferably in a pendrive. In case the soft copy is submitted through e-mail, it should be so designed that it can be further e-mailed to all concerned smoothly and without any difficulty.

4. **The combined material submitted after 30/06/2022 may not be entertained.**

5. Lastly, in order to facilitate a meaningful discussion on the issue - which is going to be held any time during the **month of July, 2022** (*to be intimated in due course*) - it is reiterated that while finalising the combined material on the subject, **the joint body must keep in view IDC's broad advice** in the last meeting that they should work together, taking along all in the trade in the country, so that they could compile common solid and valid data/documents for submission to the Inter-Departmental Committee for its further review.

Yours faithfully,

(D.R. Meena)
Deputy Secretary to the Government of India

Copy to:

Chairperson, Inter-Departmental Committee.

बोर्ड ऑफ् इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आदेश प्राप्त, इहमाई द्वारा अनुमोदित)
8— लालबाग, कमला शर्मा मार्ग, लखनऊ—226001
प्रशा0 कार्यालय : 127/204 "एस" जूही, कानपुर—208014
website- www.behm.org.in Email: registrarbehmup@gmail.com

प्रवेश सूचना

F.M.E.H. दो वर्ष (चार सेमेस्टर) — इण्टरमीडियेट अथवा समकक्ष

G.E.H.S. चार वर्ष+(1 वर्ष इन्टर्नशिप) — 10+2 जीव विज्ञान अथवा समकक्ष

P.G.E.H. दो वर्ष — G.E.H.S अथवा चिकित्सा स्नातक

C.E.H. एक वर्ष — हाई स्कूल अथवा समकक्ष

A.C.E.H. एक सेमेस्टर — किसी भी चिकित्सा पद्धति में न्यूनतम दो वर्ष का पाठ्क्रम उत्तीर्ण (इलेक्ट्रो होम्योपैथी 30 अप्रैल, 2004 से पूर्व/पैरा मेडिकल /किसी राजकीय चिकित्सा परिषद द्वारा पंजीकृत/ सूचीकृत चिकित्सक)

विस्तृत जानकारी हेतु बोर्ड की अधिकृत संस्थाओं से सम्पर्क करें अथवा **www.behm.org.in पर log in** करें।

LIST OF AUTHORISED INSTITUTIONS

Code	Name of InstituteAddress & District	Name of Principal	Name of Manager & Mobile No.
1	Ashish Electro Homoeopathic Medical Insitute, Chajlapur, Po: I.T.I.,Door Bhash Nagar, Raibareli	Dr. P. N. Kushwah	Dr. P.N. Kushwaha , 9415177119
3	Awadh Electro Homoeopathic Medical Insitute, Shri Om Sai Dham,Indrpuri Colony,Sitapur Road, Lucknow	Dr. R. K. Kapoor	Smt. Sunita Kapoor , 9335916076
4	Indira Gandhi Electro Homoeopathic Medical Insitute, Near Bhagva Chungi, Naya Mal Godam Road, Pratapgarh	VACANT	VACANT
5	Bhagwan MahaveerElectro Homoeopathic Insitute, Pan Dareeba, Jaunpur	Dr. Pramod Kumar Maurya	Smt. Sushila Maurya , 9451162709
6	Maa sarju Devi Electro Homoeopathic Medical Insitute, 2537 - Mishrana, Lakhimpur	Dr. R. K. Sharma	R.K. Sharma , 8115545675
7	Mahoba Electro Homoeopathic Institute, Behind Block Office Subhash Nagar, MAHOBA-210427	Dr. Ajai Barsaiya	Smt. Rajni Awasthi , 8423596191
11	Chandpar Electro Homoeopathic Medical Insitute, Anjan Shaheed, Azamgarh	Dr. Mushtaq Ahmad	Dr. Iftekhar Ahmad,9415358163
13	Azad Electro Homoeopathic Medical Insitute, Kintoor, Barabanki	Dr. Habib-ur- Rahman	Dr. Habib-ur-Rehman, 8052791197
14	Fatehpur Electro Homoeopathic Medical Insitute, Deviganj, Fatehpur	VACANT	Dr. Afzal Ahmad Kazmi, 9450332981
15	Electro Homoeopathic Medical Insitute , Mahmanshah, Near Charkhamba,Shahjahan pur	Dr. Ammar-Bin-Sabir	Dr.S.A. Siddique, 9336034277
16	Shahganj Electro Homoeopathic Medical Insitute , Behind Mahila Hospiital, Dihawa Bhadi,Shahganj, Jaunpur	Dr. S. N. Rai	Dr. Rajendra Prasad, 9450088327
17	Prema Devi Electro Homoeopathic Medical Institute, Siddhatth Children Campus, Arya Nagar, Siddharth Nagar	Dr. Ved Prakash Srivastav	Dr. V.P. Srivastav 9415669294

LIST OF AUTHORISED STUDY CENTRES

Code	Head of Centre	Address	District	Mobile No	E-mail
51	Dr. Adil M. Khan	Parsauni Kala,Padrauna	KUSHI NAGAR	9836131988	WhatsApp No: 7985063850
52	Dr. Pradeep Kumar Srivastava	8/366 Tube Well Colony	DEORIA	9415826491	
53	Dr. Bhoop Raj Shrivastava	120-Basheerganj	BAHRAICH	9451786214	
55	Dr. Ayaz Ahmad	Beneath K.G.S. Gramir Bank, Walidpur	MAU	9305963908	
56	Dr. Gaya Prasad	Aarti Electro Homoeopathic Study Centre, Sujanpur,Barkhera	JALAUN	8874429538	
57	Dr. N. Bhushan Nigam	B.K.E.H. Study Centre, Patkana	HAMIRPUR	9889426312	
59	Dr. Mohammad Israr Khan	Araw Road, Sirsaganj	FIROZABAD	9634503421	
60	Dr. Mohd. Akhlak Khan	128- Katra Purdal Khan	ETAWAH	6395361883	
61	Dr. Shiv Kumar Pal	Prem Nagar, Dak Banglow Bye Pass Road	FIROZABAD	9027342885	
62	Dr. Pundreek Tripathi	Hameed Nagar Ward No-3, Nautanwa	MAHARAJGANJ	7398941680	mpsr31@gmail.com
63	Dr. Ram Autar Kushwaha	Kushwaha Electro Homoeopathic Study Centre	KANPUR	9793261649	

LIST OF AUTHORISED STUDY/GUIDENCE CENTRES OTHER STATE

Code	Head of Centre	Address	District	Mobile No	E-mail
81	Dr. Devendra Singh	374/4 Shahid Bhagat Singh Colony, Karawal Nagar	DELHI-110090	9818120561	
82	Dr. Pankaj Kumar	Kaithi P.S. Chautham	KHAGARIA-851201	7549417934	

LIST OF AUTHORISED EXAMINATION CENTRES

Code	Head of Centre	Address	District	Mobile No	E-mail
91	Dr. P. K. Ragahav	Khurja	BULAND SHAHAR	9837897021	
92	Dr. S.K. Saxena	Parker College Road	MORADABAD	8171869605	
93	Electro Homoeopathic Exam	Registrar B.E.H.M. U.P. Kanpur Campus	KANPUR	0512-2970704	
95	Dr. Vikas	303/6 Gyan Nagar, Purkhas Road	SONIPAT-131001	9639300426	7302653934

Registrar

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 की सेमेस्टर परीक्षायें 28 जून से

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 की जून 2022 की सेमेस्टर परीक्षायें 28 जून, 2022 से प्रारम्भ होंगी, यह जानकारी बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथक मेडिसिन उ0प्र0 के रजिस्ट्रार डा0 अतीक अहमद ने दी, उन्होंने बताया कि परीक्षा सामग्री समस्त समन्वयक/व्यवस्थापक,इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इन्सटीट्यूट/मेडिकल इन्सटीट्यूट/स्टडी सेन्टर/गाइडेन्स सेन्टर्स बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 को प्रेषित की जा चुकी है सम्बंधित परक्षिार्थी अपने सेन्टर्स से सम्पर्क कर प्रवेश–पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

डा0 अहमद ने बताया कि प्रदेश में गर्मी का प्रकोप इस समय पिछले वर्ष की तुलना में अधिक होने के कारण सभी परीक्षायें एक ही पाली में होगी।

परीक्षा कार्यक्रम इस प्रकार है।

BOARD OF ELECTRO HOMOEOPATHIC MEDICINE,U.P.

8-Lal Bagh, Kamla Sharma Marg, Lucknow-226001 E-mail registrarbehmup@gmail.com

PROGRAMME FOR EXAMINATION JUNE 2022

Name of the course	28 th June, 2022 Tuesday	29 th June, 2022 Wedmesday	30 th June, 2022 Thursday
F.M.E.H. 1st. Semester	Anatomy & Physiology	Pharmacy &Philosophy	XX
F.M.E.H. 2nd. Semester	Pathology	Hygiene & Health	Environmental Science
F.M.E.H. 3rd. Semester	Opthalmology including E.N.T.	M.Jurisprudence & Toxicology	Dietetics
F.M.E.H. Final Semester	Obstetrics & Gynaecology	Materia Medica	Practice of Medicine

Timing → 8:00 A.M. to 11:00 A.M.

Ateeq Ahmad
Examination Incharge

बी0ई0एच0एम0 के लिए डा0 अतीक अहमद द्वारा गजट प्रेस 126 टी/22 'ए' रामलाल का तालाब, जूही, कानपुर–208014 से मुद्रित एवं मिथलेश कुमार मिश्रा द्वारा कम्प्यूटराइज्ड करा कर 9/1 पीली कालोनी, जूही, कानपुर–208014 से प्रकाशित किया।